>

Title: Need to regularize all slums/unauthorized colonies of Delhi and to amend the Gazette Notification of Government of India dated 24.03.2008.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों से लोग अपनी आजीविका हेतु आते हैं और यहीं पर बस भी जाते हैं। इसलिए दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2008 में नियम 3.3 के खण्ड ""ग"" जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियां/बस्तियां जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तथापि उपर्युक्त कॉलोनियों में 31.3.2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लॉटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखकर की जाएगी, उचित नहीं है।

यह विदित ही है कि 24 मार्च, 2008 का उपरोक्त राजपत्र काफी पुराना हो चुका है और सरकार ने इसमें जो आधार तिथि 31.3.2002 निर्धारित की है, उस तिथि से लेकर आज तक काफी संख्या में नई बस्तियां बस चुकी हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे हैं। इन बस्तियों को उजाड़ने से इनमें रहने वाले नागरिक, जो आजीविका हेतु इन बस्तियों में बसे हुए हैं, बेघर हो जाएंगे और भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए, यह जनहित में आवश्यक है कि वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर राजधानी दिल्ली की सभी अवैध बस्तियों को नियमित किया जाना चाहिए।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर राजधानी दिल्ली की ऐसी सभी बस्तियों, जिनमें भले ही कुछेक मकान बने हुए हैं, उनको किसी भी सूरत में ध्वस्त न किया जाए और अनधिकृत कॉलोनियों की नियमन पात्रता निर्धारित किए जाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24 मार्च, 2008 के नियम 3.3 के खण्ड ""ग"" में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन करते हुए राजधानी दिल्ली की वर्ष 2012 तक बनी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को बिना कोई विकास शुल्क लिए अविलम्ब नियमित किया जाए।